

प्रेस नोट दिनांक 17.11.2024, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

हत्या के अभियोग से संबंधित 08 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, घटनास्थल से 03 अदद बांस के डण्डे व 01 अदद फट्टा बरामद किया गया-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

हत्या एवं जान से मारने की धमकी देने से संबंधित 08 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तों के घर के पास से गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 16.11.2024 की रात्रि में थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चकोडीया में ग्राम तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से बारात आयी हुई थी। जिसमें लड़के पक्ष के लोग आपस में डीजे पर गाना बजाने एवं नाचने को लेकर आपस में मारपीट किये थे। जिसमें 02 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 01 व्यक्ति के घायल होने पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.11.2024 की रात्रि में थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चकोडीया में विदेशी पुत्र सूरज के घर पर ग्राम तिना थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से बारात आयी हुई थी। जिसमें लड़के पक्ष के लोग आपस में डीजे पर गाना बजाने एवं नाचने को लेकर आपस में मारपीट किये थे। इस मारपीट में लड़के के रिश्तेदार पवनदीप पुत्र रामनेवल उम्र लगभग 22 वर्ष नि०ग्राम डेहरियावां थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर की इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में मृत्यु हो गई। जबकि एक अन्य रिश्तेदार इंद्रप्रीत सिंह (उम्र 32 वर्ष) पुत्र हिम्मत सिंह निवासी जालंधर पंजाब गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को बेहतर उपचार के लिए स्वरूपरानी चिकित्सालय प्रयागराज रेफर कर दिया गया था। घायल की इलाज के दौरान स्वरूपरानी चिकित्सालय प्रयागराज में मृत्यु हो गयी थी। विशाल पुत्र राम सजीवन उम्र 25 वर्ष निवासी मकान नं०-140 बड़ा बाजार बस्ती शेख जालंधर पंजाब को भी सामान्य चोट आई थी। जिसका इलाज हेतु जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में भेजा गया था। वादिनी ममता पत्नी इंद्रप्रीत सिंह पुत्र हिम्मत सिंह मोहल्ला गुलाबी सेमी पास गुरुद्वारा जिला जलन्धर पंजाब की तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु०अ०सं० 478/24 धारा- 191(1), 191(2), /191(3), 103(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट बनाम 09 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए थे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिए गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 18.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ०नि० सुनील कुमार यादव मय हमराह का नीरज वर्मा, का० राहुल यादव, का० दुर्गा यादव, का० संतोष यादव का० विशाल वर्मा, का० प्रवीण व उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह हे०का० रामकुमार, का० आशीष गुप्ता, का० धर्मेन्द्र चौधरी, का० छत्रपाल द्वारा देखभाल क्षेत्र / विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज में पंजीकृत मु०अ०सं० 478/24 धारा- 191(1), 191(2), /191(3), 103(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 08 वांछित अभियुक्तों, 1- सहदेव वर्मा पुत्र शिवदर्शन वर्मा, 2- अभियुक्त राहुल वर्मा पुत्र चन्द्रप्रकाश, 3-संदीप वर्मा उर्फ कुलदीप वर्मा पुत्र पुत्तन वर्मा, 4- आशीष वर्मा पुत्र मोतीलाल वर्मा, 5 शनि वर्मा पुत्र विजय वर्मा, 6- विजय वर्मा पुत्र चन्द्रप्रकाश वर्मा, 7- विरेन्द्र वर्मा पुत्र विजयपाल वर्मा, 8- किशन वर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद वर्मा निवासीगण ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर प्रतापगढ़ को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तों के घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-सहदेव वर्मा पुत्र शिवदर्शन वर्मा उम्र 23 वर्ष नि०ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर प्रतापगढ़।

- 2-अभियुक्त राहुल वर्मा पुत्र चन्द्रप्रकाश वर्मा नि०ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा मजरे तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।
- 3- संदीप वर्मा उर्फ कुलदीप वर्मा पुत्र पुत्तन वर्मा उम्र करीब 19 वर्ष नि०ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, मजरे तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।
- 4- आशीष वर्मा पुत्र मोतीलाल वर्मा नि०ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।
- 5- शनि वर्मा पुत्र विजय वर्मा नि०ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष,।
- 6- विजय वर्मा पुत्र चन्द्रप्रकाश वर्मा नि०ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष, ।
- 7-विरेन्द्र वर्मा पुत्र विजयपाल वर्मा नि०ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष,।
- 8- किशन वर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद वर्मा नि०ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

घटनास्थल से 03 अदद बांस के डण्डे व 01 अदद फट्टे बरामद ।

पुलिस टीम-

-उ०नि० सुनील कुमार यादव मय हमराह का नीरज वर्मा,, का० राहुल यादव, का० दुर्गा यादव, का० संतोष यादव का० विशाल वर्मा, का० प्रवीण

-उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह हे०का० रामकुमार, का० आशीष गुप्ता, का० धर्मेन्द्र चौधरी, का० छत्रपाल थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को उसके गांव के पास से किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 07.11.2024 की सायं प्रार्थिनी अपने घर के सामने दरवाजे पर खड़ी थी, उसी समय विपक्षीयों द्वारा एक राय होकर प्रार्थिनी एवं उसके पति के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी-डंडा एवं राड़ से मार-पीट करने के संबंध में थाना कोहंडौर में अभियोग पंजीकृत किया गया था-

घटनास्थल का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.11.2024 की सायं प्रार्थिनी अपने घर के सामने दरवाजे पर खड़ी थी, उसी समय विपक्षीयों द्वारा एक राय होकर प्रार्थिनी एवं उसके पति के साथ गाली- गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी-डंडा एवं राड़ से मार-पीट करने के संबंध में प्रार्थिनी की तहरीर के आधार पर थाना कोहंडौर में मु०अ०सं० 176/2024 धारा 191 (2), 191 (3), 190,110,352,115 (2), 333,324 (4), 351 (3) बीएनएस बनाम 05 नामजद अभियुक्तों, जाहिद पुत्र आशिक, हसीना पत्नी जाहिद, अरशद पुत्र आविद आशिक पुत्र जाहिद निवासीगण वाजिदपुर थाना कोहंडौर प्रतापगढ़ व मुर्तजा पुत्र मो०रियाज निवासी बहरपुर थाना- कंधई जनपद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोहंडौर राधेश्याम के नेतृत्व में उ०नि० विवेक कुमार यादव मय हमराह उ०नि० सुजीत कुमार यादव, का० विपिन कन्नौजिया व का० राहुल कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 176/2024 धारा 191 (2), 191 (3), 190,110,352,115 (2), 333,324 (4), 351 (3) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मो० मुर्तजा पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम बहरपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर के साथ, अभियुक्त के गांव के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हमारे पास यही अवैध तमंचा व कारतूस था। इसी डर से हम बचकर भागना चाह रहे थे। बताया कि मैं गाड़ी चलाने का काम करता हूँ। वाजिदपुर मे मेरे मामा का घर है। जाहिद मेरे मामा है। मैं वहाँ घूमने के लिए गया हुआ था। मैं वहाँ मौजूद था तो मामा के परिवार के लोगो से पडोस के रहने वाले लोगो का झगडा होने लगा था। तो मैं भी वहाँ यही तमंचा लेकर पहुँच गया। उन लोगो को इसी तमंचे से धमकाने लगा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-मो0 मुर्तजा पुत्र रियाज अहमद निवासी ग्राम बहरूपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 सुजीत कुमार यादव, का0 विपिन कन्नौजिया व का0 राहुल कुमार थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

गाली- गलौज करना, जान से मारने की नियत से लाठी से मार-पीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने से संबंधित

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 01 अदद लाठी के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामचेरे से रामनगर, बघवाइत की ओर जाने वाली मोड़ के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक- 06.10.2024 को वादिनी के देवर कप्तान तिवारी उपरोक्त द्वारा वादिनी को जान से मारने की नियत से गाली-गलौज करना, जान से मारने की नियत से लाठी से मार-पीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना स्थल का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 06.10.2024 को वादिनी के देवर कप्तान तिवारी पुत्र चन्द्र भूषण तिवारी निवासी वासुदेव का पुरव थाना महेशगंज प्रतापगढ़ द्वारा वादिनी के साथ दरबाजे पर मिट्टी डालने को लेकर गाली-गलौज करना, जान से मारने की नियत से लाठी से मार-पीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 208/2024 धारा 109,110,115(2),352,351(3) बीएनएस बनाम 01 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री अमला सिंह यादव के नेतृत्व में उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह का0 विपिन कुमार, का0 राहुल कुमार, का0 सचिन भदौरिया द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 208/2024 धारा 109,110,115(2),352,351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त कप्तान तिवारी पुत्र चन्द्र भूषण तिवारी निवासी ग्राम वासुदेव का पुरव थाना महेशगंज प्रतापगढ़ को 01 अदद लाठी के साथ थानाक्षेत्र महेशगंज के ग्राम रामचेरे से रामनगर, बघवाइत की ओर जाने वाली मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- कप्तान तिवारी पुत्र चन्द्र भूषण तिवारी निवासी ग्राम वासुदेव का पुरव थाना महेशगंज प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

कप्तान तिवारी पुत्र चन्द्र भूषण तिवारी निवासी ग्राम वासुदेव का पुरव थाना महेशगंज प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 205/17 धारा 323, 352, 452, 504,506 भादवि थाना महेशगंज, प्रतापगढ़ ।

2- मु0अ0सं0 207/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना महेशगंज, प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

01 अदद लाठी बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह का० विपिन कुमार थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

हत्या का प्रयास करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत शिवमत पुल पर जेल रोड जाने वाली सड़क के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 17.11.2024 को वादी के ऊपर अभियुक्त श्याम सुंदर उपरोक्त ने चाकू से हमला कर दिया था-

घटना स्थल का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2024 को वादी रोशन लाल पुत्र स्व० रामाधार निवासी ग्राम शिवसत थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ के ऊपर श्याम सुंदर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी मोन्हा बाड़ी टोला थाना चौरी चौरा जनपद गौरखपुर ने चाकू से हमला कर दिया था। जिससे रोशन लाल उपरोक्त घायल हो जाने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-178/2024 धारा 109 बीएनएस बनाम 01 व्यक्ति नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए थे ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द राय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना दिलीपपुर के उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह का० जगदीश प्रसाद द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 178/2024 धारा 109 बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त, 1.श्यामसुन्दर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी मौनहा बारी टोला चौरी चौरा थाना चौरी चौरा, जनपद गौरखपुर को घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद के साथ थानाक्षेत्र दिलीपपुर केशिवमत पुल पर जेल रोड जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. श्यामसुन्दर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी मौनहा बारी टोला चौरी चौरा थाना चौरी चौरा, जनपद गौरखपुर ।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह का० जगदीश प्रसाद थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

हत्या का प्रयास करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत शिवमत पुल पर जेल रोड जाने वाली सड़क के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 17.11.2024 को वादी के ऊपर अभियुक्त श्याम सुंदर उपरोक्त ने चाकू से हमला कर दिया था-

घटना स्थल का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2024 को वादी रोशन लाल पुत्र स्व0 रामाधार निवासी ग्राम शिवसत थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ के ऊपर श्याम सुंदर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी मोन्हा बाड़ी टोला थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर ने चाकू से हमला कर दिया था। जिससे रोशन लाल उपरोक्त घायल हो जाने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-178/2024 धारा 109 बीएनएस बनाम 01 व्यक्ति नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए थे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द राय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना दिलीपपुर के उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह का0 जगदीश प्रसाद द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 178/2024 धारा 109 बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त, 1.श्यामसुन्दर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी मौनहा बारी टोला चौरी चौरा थाना चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर को थानाक्षेत्र दिलीपपुर केशिवमत पुल पर जेल रोड जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. श्यामसुन्दर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी मौनहा बारी टोला चौरी चौरा थाना चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर।

पुलिस टीम-

उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह का0 जगदीश प्रसाद थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

हत्या का प्रयास करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत शिवमत पुल पर जेल रोड जाने वाली सड़क के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 17.11.2024 को वादी के ऊपर अभियुक्त श्याम सुंदर उपरोक्त ने चाकू से हमला कर दिया था।

घटना स्थल का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2024 को वादी रोशन लाल पुत्र स्व0 रामाधार निवासी ग्राम शिवसत थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ के ऊपर श्याम सुंदर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी मोन्हा बाड़ी टोला थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर ने चाकू से हमला कर दिया था। जिससे रोशन लाल उपरोक्त घायल हो जाने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-178/2024 धारा 109 बीएनएस बनाम 01 व्यक्ति नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए थे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द राय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना दिलीपपुर के उ०नि० दुर्गेश कुमार मय हमराह का० जगदीश प्रसाद द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 178/2024 धारा 109 बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त, 1.श्यामसुन्दर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी मौनहा बारी टोला चौरी चौरा थाना चौरी चौरा, जनपद गौरखपुर को थानाक्षेत्र दिलीपपुर केशिवमत पुल पर जेल रोड जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. श्यामसुन्दर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी मौनहा बारी टोला चौरी चौरा थाना चौरी चौरा, जनपद गौरखपुर।

पुलिस टीम-

उ०नि० दुर्गेश कुमार मय हमराह का० जगदीश प्रसाद थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ०नि० राजेश कुमार यादव मय हमराह पीआरडी अनिल कुमार देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एसटी नं० 292/2021, मु०अ०सं० 574/2019 धारा 354ख, 452,323,504,506,325 भादवि व 9जी/10/9यू/10 पाक्सो एक्ट से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 01. रामचरन वर्मा पुत्र रामगरीब वर्मा 02. राम समुझ वर्मा पुत्र रामगरीब निवासीगण पूरे बंशी थाना लालगंज प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का विवरण-

01. रामचरन वर्मा पुत्र रामगरीब वर्मा निवासी पूरे बंशी थाना लालगंज प्रतापगढ़।

02. राम समुझ वर्मा पुत्र राम गरीब निवासी पूरे बंशी थाना लालगंज प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० राजेश कुमार यादव मय हमराह पीआरडी अनिल थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० शैलेन्द्र कुमार गुप्ता मय हमराह का० राज किशोर चौहान देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान केस नं० 1189/04, मु०अ०सं० 64/96 धारा 325,323,504,506 भादवि थाना रानीगंज प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त घनश्याम पुत्र हीरालाल उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम बीठलपुर थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01. घनश्याम पुत्र हीरालाल उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम बीठलपुर थाना रानीगंज प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० शैलेन्द्र कुमार गुप्ता मय हमराह का० राज किशोर थाना रानीगंज, जनपद- प्रतापगढ़।